बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

पत्रांक : 11/वि० 11–11/2022....49.   पटना, दिनांक.....17/6/26

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत शैक्षणिक भ्रमण हेतु राज्य के 38 जिलों के कुल 825 उत्क्रमित एवं नवस्थापित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत ₹20,000/– (बीस हजार रूपये) प्रति विद्यालय की दर से कुल उपबंधित राशि ₹5,00,00,000/– (पांच करोड़) मात्र में से वित्त विभागीय पत्रांक–314, दिनांक–01.04.2026 के आलोक में प्रथम किस्त के रूप में 33 प्रतिशत अर्थात कुल ₹1,65,00,000/– (एक करोड़ पैंसठ लाख रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश : स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत शैक्षणिक भ्रमण हेतु राज्य के 38 जिलों के कुल 825 उत्क्रमित एवं नवस्थापित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत ₹20,000/– (बीस हजार रूपये) प्रति विद्यालय की दर से कुल उपबंधित राशि ₹5,00,00,000/– (पांच करोड़) मात्र में से वित्त विभागीय पत्रांक–314, दिनांक–01.04.2026 के आलोक में प्रथम किस्त के रूप में 33 प्रतिशत अर्थात कुल ₹1,65,00,000/– (एक करोड़ पैंसठ लाख रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजनान्तर्गत ऐच्छिक शैक्षणिक भ्रमण करने की योजना संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के अंदर शैक्षणिक भ्रमण कराकर राज्य के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतों से छात्र–छात्राओं को अवगत कराने के साथ–साथ सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है तथा छात्रों में अपने अतीत के गौरव के ज्ञान के साथ–साथ पढ़ाई में अभिरूचि पैदा करना है। विभिन्न वित्तीय वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि विद्यलायों में अतिरिक्त संख्या में अध्ययनरत छात्र/छात्रा इससे लाभान्वित हुए है।

2. योजना के संचालन के क्रम में विभागीय पत्रांक–1190 दिनांक–31.10.2019 एवं पत्रांक–1722 दिनांक–31.08.2022 में दिए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस योजना के तहत आच्छादित प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 50 छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण करने हेतु यह राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त व्यय होने की स्थिति में विद्यालय छात्र कोष से राशि उपलब्ध किया जायेगा। संबंधित वित्तीय वर्ष में हीं योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। शैक्षणिक भ्रमण हेतु छात्रों के अभिभावकों से सहमति के उपरांत भ्रमण हेतु स्थल का चयन छात्र–छात्राओं की सहमति से किया जायेगा। भ्रमण सामूहिक होगा एवं वाहन पर राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना का बैनर लगाकर किया जायेगा।

4. प्रत्येक जिले में अवस्थित विद्यालयों के संख्यानुसार (अनुलग्नक–1) संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) को आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) जिले में अवस्थित वैसे राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक/प्रोजेक्ट माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय/अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिन्होंने इस मद में पूर्व में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) के माध्यम से महालेखाकार/विभाग को समर्पित कर दिया है उन्हे ₹20,000 (बीस हजार) की दर से राशि CFMS के अन्तर्गत BTC–42 के माध्यम से संबंधित विद्यालयों के बैंक खातों में राशि उपाबंटित करेंगे।

5. बजट शीर्षः– स्वीकृत राशि ₹1,65,00,000 का विकलन माँग सख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–02 माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उप शीर्ष–0110–मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना, विपत्र कोड–21–2202021090110, विषय शीर्ष–0110.13.01–कार्यालय व्यय अन्तर्गत होगा।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में संगत शीर्ष में ₹5,00,00,000/– (पांच करोड़) रूपये मात्र का उद्व्यय/उपबंध प्राप्त है।

6. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

7. योजना का अनुश्रवण राज्य स्तर पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा चिहिन्त वाह्य संस्था द्वारा इस योजनान्तर्गत प्रदत्त की जाने वाली राशि का वाह्य मूल्यांकन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–03 एवं कंडिका–05 (ख) (ii) के आलोक में राशि की निकासी की जा रही है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–02 के आलोक में वित्त विभाग के पत्रांक–235 दिनांक–01.04.2025 की कंडिका–(ख) राज्य स्कीम अन्तर्गत प्रदत चौमाही बंधेज के तहत राशि की निकासी की जा रही है।

11. संचिका संख्या–11/वि० 11–11/2022 के **पृष्ठ–78/टि०** पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. संचिका संख्या–11/वि० 11–11/2022 के **पृष्ठ–79/टि०** पर सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव

ज्ञापांकः 11/वि० 11–11/2022................ पटना, दिनांक ....,

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव

Kri. Reshu

ज्ञापाकः 11/वि० 11–11/2022................ पटना, दिनांक ....,

प्रतिलिपिः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (योजना एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिलाधिकारी/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/बजट शाखा/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापाकः 11/वि० 11–11/2022.......609 पटना, दिनांक 17/6/26

प्रतिलिपिः प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.6.26
उप सचिव

Kri·Resh

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	तत्काल स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय 20000/– रूपये की दर से स्वीकृत राशि
1	सुपौल	194	17	340000
2	खगड़िया	137	12	240000
3	कटिहार	260	23	460000
4	गोपालगंज	246	22	440000
5	औरंगाबाद	232	20	400000
6	मधुबनी	418	37	740000
7	नवादा	208	18	360000
8	अररिया	231	20	400000
9	नालन्दा	285	26	500000
10	गया	386	34	680000
11	भागलपुर	285	25	500000
12	रोहतास	285	25	500000
13	पूर्णियां	267	24	480000
14	पटना	424	37	740000
15	जहानाबाद	102	9	180000
16	अरवल	72	6	120000
17	सहरसा	168	15	300000
18	कैमूर (भभुआ)	166	15	300000
19	शिवहर	56	5	100000
20	मुंगेर	139	12	240000
21	दरभंगा	347	31	620000
22	समस्तीपुर	430	38	760000
23	वैशाली	322	29	560000
24	भोजपुर	264	23	460000
25	पश्चिम चम्पारण	345	30	600000
26	मुजफ्फरपुर	416	37	740000
27	पूर्वी चम्पारण	434	38	760000
28	लखीसराय	118	10	200000
29	सीतामढ़ी	247	22	440000
30	सारण	367	31	620000
31	सीवान	321	28	560000
32	मधेपुरा	181	16	320000
33	बांका	205	18	360000
34	शेखपुरा	66	6	120000
35	बेगूसराय	261	23	460000
36	बक्सर	159	14	280000
37	जमुई	176	16	320000
38	किशनगंज	142	13	260000
कुल		**9360**	**825**	**16500000**

K·R

17-6-16
उप सचिव, शिक्षा विभाग